



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार-249404
Website: psc.uk.gov.in

संख्या: 72/16/डी0आर0(मा0/प्रा0)/सेवा-2/2022-23

दिनांक: 23 जून, 2023

शुद्धिपत्र

मानचित्रकार/मानचित्रक/प्रारूपकार परीक्षा-2023

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विभिन्न विभागों (वन विभाग, कृषि विभाग, संस्कृति विभाग, शहरी विकास विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग) के अन्तर्गत मानचित्रकार/प्रारूपकार/मानचित्रक के रिक्त पदों हेतु प्रकाशित समेकित विज्ञापन संख्या :: A-1/Draftsman/S-2/2023 दिनांक 29.05.2023 के सापेक्ष ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसकी की अन्तिम तिथि 19.06.2023 निर्धारित थी।

2. लोक निर्माण विभाग द्वारा मानचित्रकार (समूह-ग) के रिक्त पदों पर चयन हेतु उपलब्ध कराये गए संशोधित अधियाचन के क्रम में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 29.05.2023 में लोक निर्माण विभाग के मानचित्रकार के पदों को सम्मिलित किया जाता है। उक्त विभाग हेतु विवरण निम्नवत् है-

(1) (i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	---	03	01	07	13

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

श्रेणी	उपश्रेणीवार/रिक्तियों का विवरण					
	रिक्त पद	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड के अनाथ एवं प्रभावित बच्चें 5%
अनारक्षित	07	01				---
अनुसूचित जाति	02	01				---
अनुसूचित जनजाति	00	---	---	01 (एल0वी/पी0बी0)	---	---
अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01				---
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	---				---
योग	13	03	00	01	00	00

नोट:- प्रश्नगत विभाग में शासनादेश संख्या-48/XVII-A3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05.06.2023 के अनुसार मानचित्रकार पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित श्रेणियां एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0 है। जिसमें 01 पद को (एल0वी0/पी0बी0) श्रेणी के

लिए आरक्षित किया गया है। तद्क्रम में दिव्यांगजन की अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2)	पद का स्वरूप	अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
(3)	वेतनमान	वेतनमान रु. 35400-112400, (लेवल-6)
(4)	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	<p>देवनागरी लिपि में हिन्दी के पूर्ण ज्ञान के अतिरिक्त नीचे दी गयी न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए:-</p> <p>(क) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा और</p> <p>(ख) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा अथवा 2. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड या अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा या 3. विधि द्वारा स्थापित भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मानचित्रकार का डिप्लोमा या समकक्षीय उपाधि। <p>In addition to complete knowledge of Hindi in Devnagri script, must have following minimum qualification:</p> <p>(a) Passed High School Examination conducted by Uttarakhand Board of Secondary Education or any other examination equivalent to it recognized by the State Government.</p> <p>(b) Certificate of passing any of the following examination or course-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Draftsman diploma from a polytechnic institute recognized by the Uttarakhand Board of Technical or Diploma equivalent to it from any other Institute located in and recognized by the Uttarakhand or any other state. (2) Draftsman diploma from an Industrial Training Institute recognized by Uttarakhand Directorate of Training & Employment, or a diploma equivalent to it from any other Institute located in and recognized by Uttarakhand or any other state, or (3) Draftsman diploma or equivalent degree given by a university established by the law in India.
(5)	अधिमानी अर्हता	<p>अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>

3. वन विभाग के पत्र संख्या-1561, दिनांक 13.06.2023 के माध्यम से शासनादेश सं0-48, दिनांक 05 जून, 2023 के अनुसार प्राप्त संशोधित अधियाचन के क्रम में पूर्व समेकित विज्ञापन दिनांक 29.05.2023 में मानचित्रकार (वन विभाग) के विज्ञापित पदों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

रिक्तियों का विवरण:-

(i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	02	02	03	20	30

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

श्रेणी	उपश्रेणीवार/रिक्तियों का विवरण					
	रिक्त पद	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड के अनाथ एवं प्रभावित बच्चें 5%
अनारक्षित	20	06	01	01 (HH/PD, D)	02	01
अनुसूचित जाति	03	01				---
अनुसूचित जनजाति	02	01				---
अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01				---
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	01				---
योग	30	10	01	01	02	01

नोट:- प्रश्नगत विभाग में शासनादेश संख्या-48/XVII-A3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05.06.2023 के अनुसार मानचित्रकार पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित श्रेणियां एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, डी0, एच0एच0/पी0डी0 है। जिसमें 01 पद (HH/PD, D) श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। तदक्रम में दिव्यांगजन की अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. शहरी विभाग के पत्र संख्या-1/13160/2023, दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से शासनादेश सं0-48, दिनांक 05 जून, 2023 के अनुसार पूर्व समेकित विज्ञापन दिनांक 29.05.2023 में मानचित्रकार (शहरी विकास विभाग) के विज्ञापित पदों के विवरण में दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित श्रेणियों का उल्लेख तालिका के नीचे नोट में अंकित किया गया है:-

रिक्तियों का विवरण:-

(i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

क्र0सं0	नगर निकाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	योग
1	नगर निगम देहरादून	01	---	---	---	01	02
2	नगर निगम हरिद्वार	01	---	---	---	01	02
3	नगर निगम रुड़की	---	---	---	---	01	01
4	नगर निगम काशीपुर	---	---	---	---	01	01

5	नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम	---	---	---	---	01	01
6	नगर निगम कोटद्वार	---	---	---	---	01	01
7	नगर निगम रुद्रपुर	---	---	---	---	01	01
8	नगर निगम ऋषिकेश	---	---	---	---	01	01
9	नगर पालिका परिषद नैनीताल	---	---	---	---	01	01
10	नगर पालिका परिषद पौड़ी	---	---	---	---	01	01
कुल योग		02	00	00	00	10	12

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:—

श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड के अनाथ एवं प्रभावित बच्चों 5%	कुल
रिक्त पद	—	—	—	—	—	—

नोट:— प्रश्नगत विभाग में शासनादेश संख्या-48/XVII-A3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05.06.2023 के अनुसार मानचित्रकार पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित श्रेणियां एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0एल0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, डी0, एल0सी0, है। तदक्रम में दिव्यांगजन की अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. शासनादेश सं0-48, दिनांक 05 जून, 2023 के अनुसार उत्तराखण्ड, संस्कृति विभाग में मानचित्रकार का पद दिव्यांगजन की किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हांकित नहीं है।

6. उपरोक्त शुद्धिपत्र एवं पूर्व समेकित विज्ञापन दिनांक 29.05.2023 के अनुसार अर्हता धारित पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को दिनांक 23.06.2023 से 13.07.2023 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक विस्तारित किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व समेकित विज्ञापन दिनांक 29.05.2023 के अनुसार आवेदन किया गया है, उन्हें उपरोक्त वर्णित पदों हेतु स्वतः ही विचारित किया जायेगा, तदक्रम में उन अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करना चाहता है, तो वह अपने पूर्व में Submit आवेदन को Cancel कर पुनः अद्यतन सूचनाओं के साथ पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

7. पूर्व समेकित विज्ञापन संख्या :: **A-1/ Draftsman/S-2/2023** दिनांक 29.05.2023 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

Sd/-
(अवधेश कुमार सिंह)
प्रभारी सचिव।